रजिस्टर्ड

संख्या: शिक्षा–एच(21)ए(1)पी.एस.–13/2021(विविध)–लूज
शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर), हिमाचल प्रदेश।
Tel.No:-0177-2653120, Ext: 234, E-mail:-genbr@rediffmail.com Fax:0177-2812882
दिनांक : शिमला–171001, अगस्त, 2021.

प्रेषित:–

उपनिदेशक (उच्चतर शिक्षा),
चम्बा, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश।

विषय:- **Suo-Moto action on the news item published in Divya Himachal Hindi Newpaper on dated 05-04-2021 titled- चम्बा में निजी स्कूल के 122 छात्र–स्टाफ कोरोना पॉजिटिव।**

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में दिनांक 05–04–2021 को दिव्या हिमाचल हिन्दी समाचार पत्र में **"चम्बा में निजी स्कूल के 122 छात्र–स्टाफ कोरोना पाजिटिव"** शीर्षक से छप्पी खबर के सम्बन्ध में निदेशक (डब्ल्यू सी.डी.) एवं सदस्य सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को आयोग की बैठक में दिनांक 17.04.2021 को रखा गया जिसका अवलोकन करने पर आयोग को ज्ञात हुआ कि जिला चम्बा में डलहौजी के एक निजी स्कूल में 122 छात्र व स्टाफ कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए है। से सभी पूर्व में कोरोना पॉजिटिव लोगों के सम्पर्क मे थे।

आयोग द्वारा चाहा गया है कि जब इससे पूर्व भी उक्त विद्यालय में कर्मचारी कोविड पॉजिटिव थे तो उन्हे आइसोलेशन में क्यों नहीं रखा गया? बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर इतनी असावधानी क्यों बरती गई? अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि उक्त स्कूल में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के कारणे की जांच की जाए तथा विद्यालय प्रबन्धन से स्पष्टीकरण मांगा जाये कि इससे पूर्व विद्यालय के पॉजिटिव कर्मचारियों को आइसोलेशन में रखा गया था अथवा नहीं? बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही क्यों बरती गई। अतः स्कूल प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मामले की वास्तविकता से निदेशक (डब्ल्यू सी डी) एवं सदस्य सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हिमाचल प्रदेश सहित इस निदेशालय को भी अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त समस्त स्कूलों को निर्देश जारी करे कि भविष्य में पुनः स्कूल खुलने पर हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक स्कूल में स्कूल प्रशासन द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग/कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की जाए तथा स्कूलों में मास्क सेनिटाईजर, हाथ धोने की व्यवस्था आदि सुनिश्चित की जाए और कोविड के बचाव के नियमों की अनुपालना से संबन्धित गाईडलाईनों को प्रत्येक स्कूल के सचूनापट्ट पर लगाया जाये ताकि स्कूलों में कोरोना संक्रमण की पुरनावृति न हो।

G.I.
4.
09/09

अति0 निदेशक (प्रशासनिक)
निदेशालय (उच्चतर शिक्षा), हि0प्र0।

पृष्ठांकन संख्या: दिनांक: शिमला– 171001, अगस्त, 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निदेशक (डब्ल्यू सी.डी.) एवं सदस्य सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हिमाचल प्रदेश को उनके कार्यालय पत्र संख्या:–सी.पी.सी.आर.–ए(4)–2/2018–1223–1224 दिनांक 29.07.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

509
7/9

रजिस्टर्ड

2. समस्त जिलों के उपनिदेशक (उच्चतर शिक्षा) को निर्देश दिये जाते है कि सभी सरकारी एवं निजी स्कूलो को निर्देश दिये जाये कि पुनः स्कूल खुलने के बाद हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक स्कूल में स्कूल प्रशासन द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग/कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की जाए तथा स्कूलों में मास्क सेनिटाईजर, हाथ धोने की व्यवस्था आदि सुनिश्चित की जाए और कोविड के बचाव के नियमों की अनुपालना से संबन्धित गाईडलाईनों को प्रत्येक स्कूल के सचूनापट्ट पर लगाया जाये ताकि स्कूलों में कोरोना संक्रमण की पुरनावृति न हो।
3. रक्षक नस्ति।

अति0 निदेशक (प्रशासनिक)
निदेशालय (उच्चतर शिक्षा), हि0प्र0।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि0प्र0
28 AUG 2021

पृष्ठांकन संख्याः ईडीएन–यू (जी–1) कोविड / 2021 / – 1069 13 सितम्बर 2021
कार्यालय शिक्षा उप निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)

प्रतिलिपिः–

1 शिक्षा निदेशक उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला को सूचनार्थ प्रेषित है ।

2 समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक राजकीय / अराजकीय वरिष्ठ माध्यमिक / उच्च पाठशालाएं जिला ऊना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है । तथा पत्र के अनुसार कार्यवाही की जाए ।

शिक्षा उप निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)